

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सिमा देवी पति— मदन कुमार ग्राम+पो0— नेऊरी थाना— बिहटा जिला— पटना यूएचआईडी नं0— 107116530	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	हरिओम कुमार पिता— स्व० शंकर पासवान ग्राम+पो0— सिधिया घाट थाना— विभूतिपुर जिला— समस्तीपुर यूएचआईडी नं0— 107063260	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
3	बलिराम यादव पिता— राजकिशोर यादव ग्राम+पो0— बलवा थाना— मादेपुर जिला— मधुबनी यूएचआईडी नं0— 107798772	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	6,00,000	छः लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सुरेन्द्र साह पिता— स्व० लालजी साह ग्राम+पो0— खवासपुर थाना— लकडी नवीगज जिला— सिवान यूएचआईडी नं0— 106336616	स्पाइन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अयुष कुमार पिता- सतोष मंडल ग्राम- भटमूरा पो0+थाना- मनिगाछी जिला- दरभंगा यूएचआईडी नं0- 105989862	बोन मैरो ट्रासप्लांट	4,50,000	चार लाख पच हजार स्वीकृत।
6	गोलू कुमार पिता- राजेश राम ग्राम+पो0- खवासपुर थाना- लकडी नवीगज जिला- सिवान यूएचआईडी नं0- 108095082	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	नदनी कुमारी पिता- दलसिगार चौधरी ग्राम- महुवल बाजार पो0- बडरम थाना- हुसैनगज जिला- सिवान यूएचआईडी नं0- 20130217557	Fanconi renotubular syndrome	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			20,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,05,000/- (बीस लाख पाँच हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176819 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

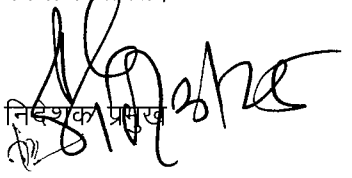
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 708(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 176849 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मेहरा परवीन पिता- मो० सदाम हुसैन ग्राम- दिधियार वार्ड 03 पो०- कोटि रनवे थाना- केवटी जिला- दरभंगा यूएचआईडी न०- 107053773	हृदय रोग ICR + LPA Plasty	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 176879 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभा० को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 709 (14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....176849.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 /एम 11-01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नेहा कुमारी पति- रितेश कुमार सिंह ग्राम- ऐनी पो- भवदेवा थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा यूएचआईडी न०- 107519726	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 126819 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-CA 10874584292, खाता धारक का नाम- DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 710(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...196879...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-1
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमन कुमार आनंद पिता- लक्ष्मण राय ग्राम+पो०- मरीचा थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर	क्रोनिक लीवर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196819.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साइंस" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम-Site No-2, OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

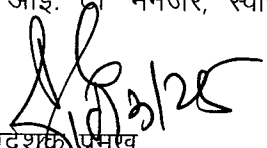
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 712 (14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...176849.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक
सफदरजंग अस्पताल
रिंग रोड
नई दिल्ली, -110029

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बेबी सिंह पति— विजय कुमार सिंह ग्राम+पो०— धोबवल थाना— खैरा जिला— सारण	सर्जरी Rotator cuff tear Right Shoulder	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 50,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~196842~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 26400200000002 खाता धारक का नाम— Medical Superintendent Safdarjung Hospital, New Delhi खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— Safdarjung Hospital, Gate No.-2, New Delhi, RTGS/IFSC कोड सं० BARB0SAFEEX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की

संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 713(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176844 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

**TENDER PALM SUPER SPECIALITY HOSPITAL,
Gomati Nagar Extension,
Shaheed Path, Lucknow - 226002**

पटना, दिनांक.. ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अर्जुन कुमार यादव पिता- कमलेश यादव ग्राम- बसडिला टोला मुर्गिया पो०- बसडिला खास थाना+जिला- गोपालगज	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	सुशीला देवी पति- अमलेश चौधरी ग्राम- बसडीला टोला मुर्गिया पो०- बसडीला खास थाना+जिला- गोपालगज	Lap Nephrectomy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			4,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/-(चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176819 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200094202233 खाता धारक का नाम-"Health Plus Research & Medicentre LLP" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- SAPRU MARG HAZRATGANJ BRANCH LUCKNOW 226001, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० HDFC0001267 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि

दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 714(14)

पटना, दिनांक

10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 186849 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शहजाद असारी पिता- उस्मान असारी ग्राम+पो0- कररिया थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 20241197265	ई0 एन0 टी0 रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सगीता कुमारी पति- सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम- कोरबद्धा पतौली पो0+थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 2024582723	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	प्रकाश रजन पिता- मकेश्वर पाडेय ग्राम- मैसहॉ पो0- सिंगार फुलकहान थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2022108290	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	कृष्णा यादव पिता- बासुदेव यादव ग्राम- खैरटिया पो0- बलथरी थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज सीआर न0- 2024132194	हृदय रोग एम्बीआर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रामावती देवी पति- छटु राम ग्राम- सोहनी पट्टी थाना- मोडल पो0+जिला- बक्सर सीआर न0- 2025038168	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	शाति देवी पति- अनिल सिंह ग्राम+पो0- गोविंदपुर थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2025034348	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अभिषेक पिता- मूरत सिंह ग्राम+पो0- सिरुआ थाना- बहेरी जिला- दरभंगा सीआर न0- 2024663008	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	जियालाल साह पिता- प्रह्लाद साह ग्राम- मिल्की पो0- रघई थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2024205983	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	लक्ष्मी देवी पति- मुक्तिनाथ प्रसाद यादव ग्राम- चरगाहा पो0+थाना- तुरकौलिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2022703933	लीवर कैसर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	अराध्या कुमारी पिता-युवेन्द्र कुमार यादव ग्राम- टिकरी टोला मठिया पो0- प्रतापपुर थाना- हुसैनगज जिला- सिवान सीआर न0- 2025068776	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	यश प्रिय पिता- अजय कुमार ग्राम- नयागाव पो0- छपरा मेघ थाना- मुशहरी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2025081034	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	अवधेश कुमार पिता- धर्मनाथ सिंह ग्राम- किशुनपुर पो0- भाथा सोनहो थाना- भेल्दी जिला- सारण सीआर न0- 2025100226	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	मिथिलेश कुमार सिंह पिता- जगदीश सिंह ग्राम- एकडेरवा पो0- थावे थाना- थावे जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 20241225696	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
14	रमीता कुमारी पिता- सरोज कुमार महतो ग्राम- पोखराहा टोला पो0- पोखराहा थाना- बगेंगोला जिला- बक्सर सीआर न0- 2022212030	Continuous urinary incontinence S/P bladder neck repair	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	जगदीश महतो पिता- मशी महतो ग्राम- रानी पकडी पो0- पिपरा पकडी थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2023439098	Bronchial artery embolisation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	हाजरातन खातून पति- मतलूब आलम ग्राम+पो0- हरिहास थाना- हुसैनगज जिला- सिवान सीआर नं0- 2025054291	हृदय रोग एमभीआर	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
17	डेजी कुमारी पिता- अरविन्द सिंह ग्राम- रसूलपुर पो0- बिशुनदत्तपुर थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2024799548	गोल ब्लाडर गाठ	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	अमर प्रसाद पिता- दिनेश प्रसाद ग्राम- बाईपास रोड डुमराव पो0+थाना- डुमराव जिला- बक्सर सीआर न0- 20241232187	TTP requiring plex therapy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	अजित कुमार पिता- जवाहर सिंह ग्राम- सुकहरा पो0- धवनी थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर न0- 2020447528	Multiple Access failure	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	रमायण कुशवाहा पिता- रामचंद्र कुशवाहा ग्राम- सुकसेनवा मिश्र पो0- भागीपट्टी झील थाना- कटेया जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 2025041124	Right Sphenocavernous Meningioma surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	मंजू देवी पति- विवेक कुमार गुप्ता ग्राम- ब्लॉक रोड पो0- नरकटियागंज थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2025051183	Mixed Connective Tissue disease with nepliritis	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
22	जय प्रकाश सिंह पिता- सूर्य प्रसाद सिंह ग्राम- दफतरपुर पो0+थाना- डोरीगंज जिला- सारण सीआर नं0- 2024710018	Portal hypertension (Critical)	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
23	रिशु कुमार पिता- अभय कुमार ग्राम+पो0- भाथा थाना- मकर जिला- सारण सीआर न0- 2018268085	CAPD	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
24	निशा कुमारी पिता- लक्ष्मण जी प्रसाद ग्राम- सूरवल पो0+थाना- जीरादेई जिला- सिवान सीआर न0- 2007493284	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	उज्जवल कुमार पिता- आलोक कुमार तिवारी ग्राम- न्यू चादमारी मोतिहारी नियर दुर्गा मदर पो0- मोतिहारी थाना- टाउन पुलिस स्टेशन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2008558054	प्लास्टिक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

26	प्रेमनदन कुमार पिता— स्व० प्रदीप कुमार ग्राम— बसवरिया पो०— मठिया थाना— लौरिया जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न०— 2024868417	Young adolescent male hormone therapy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
27	अमीत कुमार पिता— बिपिन बिहारी राम ग्राम— खैरवा टोला पो०— बखरी पचरुखिया थाना— गोबर्धना जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न०— 2017775465	Endoscopic bladder Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
28	कृष्ण कात पिता— लालचन्द राम ग्राम+पो०+थाना— बिहटा जिला— पटना सीआर न०— 2013546165	Post Kidney Transplant Critical	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
29	मजू देवी पति— लालजी यादव ग्राम+पो०— तेलकथु थाना— एम एच नगर जिला— सिवान सीआर न०— 2019848847	Post DVR Complication	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			27,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 27,80,000/- (सत्ताईस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~196847~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम— "निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहकारिता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

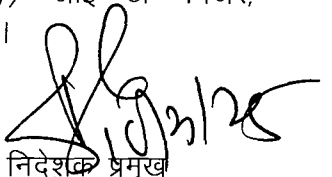
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 415(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176842 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक, /अधीक्षक
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, गोमती नगर
लखनऊ -226010

पटना, दिनांक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	संतोष भगत पिता- नथुनी भगत ग्राम- जादोपुर शुकुल पो०- जादोपुर थाना- यादोपुर जिला- गोपालगज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	नसीमा बेगम पति- राजहुसैन मिया ग्राम+पो०- गभीरार थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196819..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम-MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम-विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की

राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

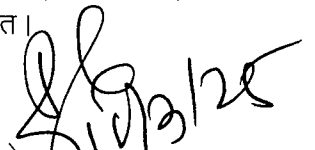
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 716 (14)

पटना, दिनांक 10.03.2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...1968.44 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं०सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

चन्दन अस्पताल फैजाबाद रोड,

नीयर चिनहट प्लाई ओवर विजयन्त खंड

गोमती नगर लखनउ 226010

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुकेश कुमार यादव पिता— राम बालक यादव ग्राम— पीपरापुर पो०— जियर थाना— सारे जिला— नालदा	किडनी रोग Investigation & Medicatin	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। <i>विशेष परिस्थिति में।</i>
			₹ 1,00,000 /—	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /— (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 1768117 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 059105002400 खाता धारक का नाम— "चन्दन हौस्पिटल लि०" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, शाखा का नाम—19/753 Sec-19, Indira Nagar, Lucknow RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000591 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

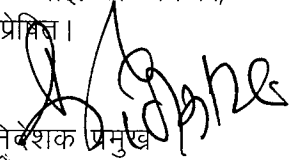
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 7/7(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 196849 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	बसती देवी पति- ब्रजनंदन मेहता ग्राम- सुही पो०- तुरता थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद एमआरडी न०- 5362200	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	निखिल कुमार पिता- बिनोद महतो ग्राम- बरारी जगदीश पो०- थावे थाना- उचकागाव जिला- गोपालगंज एमआरडी न०- 5914951	कोकिलियर इम्पलाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
3	रेखा कुमारी पिता- अमरेंद्र सिंह ग्राम- तुर्की पो०- तिर्की थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 6245985	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	देव मुनि देवी पति- विजय सिंह ग्राम- सरैया पो०- भिहरी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर एमआरडी न०- 4982062	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।



5	अकुश कुमार पिता- अनिल कुमार सिंह ग्राम- दुधरा, पो0- अकोढी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7187274	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	इंद्रीश असारी पिता- जवाहर असारी ग्राम+पो0- जैतपुर कला थाना- भगवानपुर जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 6402886	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	काजल कुमारी पिता- गुड्डू कुमार ग्राम- जरिगावा, पो0- करहसी थाना- मुफ्फसिल, जिला- बक्सर एमआरडी न0- 7001493	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	हरेराम ओझा पिता- सियाराम ओझा ग्राम+पो0- सहजौली थाना- शाहपुर, जला- भोजपुर एमआरडी न0- 7213985	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	हमदर्द असारी पिता- पीर मोहम्मद असारी ग्राम+पो0+थाना- दिनारा जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7235719	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	मुकेश कुमार पाण्डेय पिता- दयाशंकर पाण्डेय ग्राम- कोथुआ वार्ड 8 पो0- खनैठी, थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न0- 6027244	न्यूरो सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
11	बिचकी देवी पति- सूरज पाल ग्राम- कोटा पो0- करमहरी, थाना- कुछीला जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 4716046	ब्रेन / न्यूरो रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	संतोष कुमार राय पिता- रामजी राय ग्राम+पो0- दुमदुमा, थाना- कुढनी जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 5575308	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	प्रदीप पांडेय पिता- केशो प्रसाद पांडेय ग्राम- लक्ष्मीपुर, पो0- सोधी थाना- मोहनियाँ, जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7038624	Stroke Medication	30,000	तीस हजार स्वीकृत।

14	विकाश कुमार पिता- भानु प्रताप सिंह ग्राम- नदोखर पो0- औरईया, थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी नं0- 7135735	R- thigh swelling / infection Medication	50,000	पचास हजार स्वीकृत। यह सर्जरी सभी सरकारी अस्पतालो मे मुफ्त उपलब्ध है।
			₹ 14,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,45,000/- (चौदह लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196872~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 719(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~196872~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज कुमारी देवी पति- राजबंशी पंडित ग्राम+पो0- ठेपहा बाजार थाना- जीरादेई जिला- सिवान केस फाईल नं0- केडी/03103	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	तारा देवी पति- रूदल यादव ग्राम+पो0- सिधाव थाना- लौकरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं0-18एफ2024/018899	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	उमरावती देवी पति- रबिन्द्र सिंह ग्राम- बिशुनपुरा पो0- जगदीशपुर कोठी थाना- नौतन जिला- सिवान केस फाईल नं0-18एफ2024/015177	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रीता कुँवर पति- स्व० मुन्ना प्रजापति ग्राम+पो0- बाँक थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास केस फाईल नं0-18एफ2025/000158	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

5	बिजती देवी पति- बिमल यादव ग्राम- चकिया पो0- कुरकुरी थाना- पालीगंज जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2025 / 000960	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	मोहम्मद हेसाम पिता- मोहम्मद एकराम ग्राम- कबीरगंज पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास केस फाईल न0- केई / 15275	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	कचन कुमारी पिता- मुन्ना कुमार ग्राम- चिन्तामनपुर पो0- कटहॉ थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2025 / 000001	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	स्वेता कुमारी पिता- धर्मेन्द्र कुमार सिंह ग्राम- कुसुम्ही पो0- सोनवर्षा थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर केस फाईल न0-16एफ2024 / 001672	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	आशुतोष सिंह पिता- सिद्धनाथ सिंह ग्राम+पो0- बराह थाना- रानी तालाब जिला- पटना केस फाईल न0-16एफ2024 / 002671	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	रानी देवी पति- मनिन्द्र कुमार ग्राम- बहुआरा पो0- बनसोटी थाना- मशरक जिला- सारण केस फाईल नं0-18एफ2024 / 002750	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	मास्टर वीरू सिंह पिता- पिंदू सिंह ग्राम- बखरिया पो0- बेलघाट बलुआ थाना- ढोभन जिला- भोजपुर केस फाईल न0-16एफ2024 / 002231	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	देवन्ती देवी पति- रामप्रीत शर्मा ग्राम- कोल्हुआर बगही पो0- बगही बाजार थाना- कटेया जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-18एफ2023 / 000310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	परशुराम सिंह पिता- बाबू चन्द सिंह ग्राम- धर्मागत परासी पो0- गोरख परासी थाना- काराकाट जिला- रोहतास केस फाईल न0-16एफ2024 / 002516	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	बबीता देवी पिता- श्रवण प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा केस फाईल न0-16एफ2025 / 000299	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	मास्टर मितिल कुमार पिता- मनोज साह ग्राम+पो0- महुअल महाल थाना- एम एच नगर जिला- सिवान केस फाईल न0-16एफ2024 / 001103	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	नीलम कुंवर पति- मदन ठाकुर ग्राम- रेपुरा पो0- एकौनी थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-18एफ2025 / 000521	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	बेबी देवी पति- विजय प्रसाद ग्राम- जामापुर पो0+थाना- जीरादेई जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2024 / 001780	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	ज्ञान्ती देवी पति- कन्हैया प्रसाद ग्राम- पुरानी गुदरी तुरहा टोली मंदिर के पास पो0- बेतिया थाना- कालीबाग जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2023 / 004347	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	सिधु देवी पति- अजित कुमार ग्राम- डेरा पो0- तेदुआ थाना- नोखा जिला- रोहतास केस फाईल न0- केडी / 13959	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	मजहरूल हक पिता- लेयाकत हुसैन ग्राम+पो0+थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2023 / 013466	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मिन्ता देवी पति- चंदेश्वर सिंह ग्राम- मोथा पो0- भदासी थाना+जिला- अरवल केस फाईल न0-18एफ2024 / 018517	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	निर्मला देवी पति- संतोष वर्मा ग्राम- चडवा पो0- चैनवा थाना- रसूलपुर जिला- सारण केस फाईल न0- केडी / 12353	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	ममता देवी पति- मनोज कुमार ग्राम- चट्टी रोड बेगूसराय पो0+थाना+जिला- बेगूसराय केस फाईल न0-18एफ2024 / 012129	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	संगीता देवी पति- रमन कुमार मिश्र ग्राम- चीनी मिल बक्सर पो0- गजाधरगज थाना- मोडल थाना जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2025 / 000292	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	शारदा देवी पति- सदीप कुमार सिंह ग्राम- राजधाम पो0+थाना- महेशखूंट जिला- खगडिया केस फाईल नं0-18एफ2025 / 000929	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	सोनी कुमारी पति- अविनाश कुमार झा ग्राम- नाजिरपुर पो0- चौद चौर थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0-16एफ2024 / 002079	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

27	किसुन राम पिता- विश्वनाथ राम ग्राम+पो0- कूडासन थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- केई / 16555	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	उषा देवी पति- ब्रजेश कुमार ग्राम- मँझियावा पो0- पिरोटा थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0- सीएम / 10579	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	निरा देवी पति- बालेश्वर सिंह ग्राम- खैरा पो0- सदुरी कर्मा थाना- नरारी जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-19एफ2024 / 000911	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	मुकुद कुमार सिन्हा पिता- दिलीप कुमार सिन्हा ग्राम- गँधी आश्रम पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली केस फाईल नं0-19एफ2025 / 000230	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	किशोर कुमार सिंह पिता- शिवजी सिंह ग्राम- गौरक्षणी सासाराम पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2024 / 011786	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
32	नीतीश कुमार सिंह पिता- लल्लन सिंह ग्राम- मोबारकपुर पो0- पपरिया थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2025 / 000255	कैसर रोग	1,00,000	एक लख स्वीकृत।
33	सबिता देवी पति- स्व0 भगवान सिंह ग्राम+पो0- मुजान थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024 / 016856	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

34	अविष स्नेहिल पिता- योगेन्द्र कुमार ग्राम- श्यामा मनाली अपार्टमेंट जगदेवपथ वार्ड 04 पो0- बी0भी0 कॉलेज थाना- एयरपोर्ट जिला- पटना केस फाईल न0-16एफ2025/000208	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
35	रवि कुमार शर्मा पिता- अम्बिका प्रसाद शर्मा ग्राम- दतियावा पो0- कुडासन थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 18एफ2025/000704	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
36	राजीव रंजन सिंह पिता- सुरेश प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- विश्वनिया थाना- दरौली जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2025/001635	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
37	गुडिया कुमारी पिता- स्व0 अशोक साह ग्राम+पो0- देवढियॉ थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल नं0-18एफ2024/019298	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
38	वीणा सिंह पति- विजय प्रताप सिंह ग्राम- लोदीपुर कटना पो0- जी0 पी0 ओ0 थाना- कोतवाली जिला- पटना केस फाईल नं0-18एफ2024/007531	कैंसर रोग (सर्जरी)	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			39,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 39,70,000/-** (उनचालीस लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **196819** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **3675632747** खाता धारक का नाम- **होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल, वाराणसी**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**, शाखा का नाम- **RTGS/IFSC** कोड स0 **CBIN 0280196** मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान**

की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 720(14)

पटना, दिनांक-10/3/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.. ~~196819~~... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ARVACHIN HOSPITAL,
Plot No. 1700, Amara Khaira Chak,
Akhar Bypass NH 2,
(Near Delhi Public School)
Varanasi 221011.

पटना, दिनांक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिमला देवी पति- गणेश लाल ग्राम- जकडपुरा पो0+थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय	हृदय रोग Angioplasty y three stent surgery	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	सरोज कुमार पिता- सुरेश सिंह ग्राम+पो0+थाना- नासरीगज जिला- रोहतास	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	पूनम देवी पति- मनोज कुमार पासवान ग्राम- सखरा पो0+थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास	Three vessel angioplasty	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,85,000/- (दो लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 176877... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200088951405 खाता धारक का नाम- Arvachin Healthcare Private Limited, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank, शाखा का नाम- Lohta, RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0002166 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-

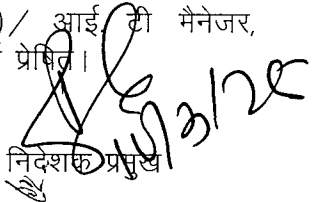
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 721(14)

पटना, दिनांक- 10/3/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 196847 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज तिवारी पिता- श्री निवास तिवारी ग्राम+पो0- एघारा थाना- नोखा जिला- रोहतास केस फाईल न०- 11एफ2023/031691	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
2	सजय शर्मा पिता- पत्ती शर्मा ग्राम- पाढी पो0+थाना- चोंद जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न०- सीवी/34218	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	आरती कुमारी पिता- शम्भू प्रसाद ग्राम+पो0- कोकलचक थाना- नूरसराय जिला- नालदा केस फाईल न०- 11एफ2023/013649	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सुनील मुरारी साह पिता- मुरारी साह ग्राम- टैगोर पब्लिक स्कूल चट्टी रोड पो0- बेगूसराय थाना- रतनपुर जिला- बेगूसराय केस फाईल न०- सीएच/32609	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	हरि किशोर सिंह पिता- राजदेव सिंह ग्राम+पो0- बरवा खुर्द थाना- कुण्डवा चैनपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 11एफ2023/035258	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। २
6	सोनेलाल साह पिता- सोनफुल साह ग्राम- सोंधो मुबारकपुर पो0- सोंधो थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल नं0- सीटी/14754	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
7	अकित पटेल पिता- सुनील सिंह ग्राम- इसिया पो0- बराढी थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल नं0- 11एफ2024/027533	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	अगस्त्य प्रशांत चन्द्रा पिता- प्रभाष चन्द्रा ग्राम- न्यू जक्कनपुर बी0 के0 दत्ता लेन पो0- जी0 पी0 ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना केस फाईल नं0- 11एफ2023/034195	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	बद्री नारायण सिंह पिता- अवध बिहारी सिंह ग्राम- महाबीर अस्थान सासाराम पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास केस फाईल नं0- सीवी/12087	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	राज कुमार चौधरी पिता- हरि नारायण चौधरी ग्राम- तरनी प्रसाद लेन पश्चिम दरवाजा पो0- झाऊगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना केस फाईल नं0- 11एफ2023/035624	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	मो0 शमीम पिता- मो0 मोबिन ग्राम- समनपुरा राजा बाजार नियर पिकी टेलर पो0- बी भी कॉलेज थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना केस फाईल नं0- सीपी/01593	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	रंजीत दीनदयाल गिरी पिता— स्व० दिनदयाल गिरी ग्राम+पो०— ककढिया थाना— खैरा जिला— सारण केस फाईल न०— 11एफ2024/002202	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
13	सजीदा खातून पति— अलीम हुसैन असारी ग्राम— बतुही पो०— मकैर थाना— परसा जिला— सारण केस फाईल न०— सीटी/16632	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	अशोक कुमार यादव पिता— स्व० जवाहर प्रसाद यादव ग्राम+पो०— चकरी थाना— दरौली जिला— सिवान केस फाईल न०— सीवी/20696	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			14,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,50,000/- (चौदह लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 1268121... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा

सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

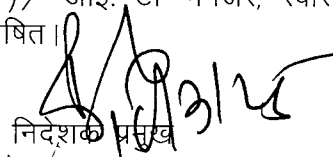
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 722(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...196819...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



स0स0 14 /एम 11-1 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कूडर रोड
पी० बी० न०-3,मेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रूपेश कुमार पिता- सुधीर प्रसाद मडल ग्राम- बरयारपुर बस्ती पो०+थाना- बरयारपुर जिला- मुंगेर सीएमसी न०- 294224 पी	किडनी दवा Post Renal Transplant Medicine to Hospital	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
2	सुरेद्र प्रसाद पिता- स्व० विश्वनाथ प्रसाद ग्राम+पो०+थाना- नयागाव जिला- सारण सीएमसी न०- 215201 एच	हृदय रोग एम्बीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	समानता अधिकारी पिता- जमूरिया अधिकारी ग्राम- मीरबीघा पो०- चकवे थाना- वारसलीगज जिला- नवादा सीएमसी नं०- एएच 89766	Total thyroidectomy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	मो० अयान पिता- सिकंदर आजम ग्राम+पो०- लरुआरा थाना- मुफसिल जिला- बेगूसराय सीएमसी न०- 175025 पी	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।



5	विश्वजीत कुमार पिता- राजेंद्र यादव ग्राम- माया बिगहा पो0- तेलडीहा थाना- मदनपुर जिला- औरंगाबाद सीएमसी न0- 672131 डी	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अरसी हजार स्वीकृत।
			9,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,45,000/- (नौ लाख पैतालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196849 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 723(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196849 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
नारायणा सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
120/1, अंदुल रोड़,
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक.

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशिका कुमारी पिता- मनीष कुमार ठाकुर ग्राम+पो0- बरबड़ा थाना- मुसरीघरारी जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग ASD Closer	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 75,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड़, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ...196849... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि0, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-Axis Bank Ltd, शाखा का नाम-सी0बी0बी0 बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड सं0 UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधि मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0

आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

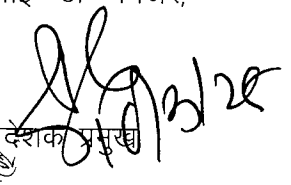
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 724 (14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 1168.4.1 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक.

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय कुमार सिंह पिता- रामबरत सिंह ग्राम- रोहई पो0- बाडानाथु थाना- करपी जिला- अरवल सीआर न0- 201403645106	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	निजामुद्दीन असारी पिता- जहरूल हक ग्राम- टकी बाजार विजयपुर पो0+थाना- वाल्मीकिनगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 202404820778	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	अरुण कुमार पिता- जगदीश सिंह ग्राम+पो0- अकौनी थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 2017 0460 3003	किडनी दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	अमन कुमार पिता- अरुण यादव ग्राम- लाल इमली चौक शिकारपुर गोरिया सीन पटना सिटी पो0- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना सीआर न0- 2022 0488 1145	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	सर्वजीत कुमार पांडेय पिता- विनोद पांडेय ग्राम+पो0+थाना- घोडासहन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2016 0614 5892	किडनी दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
6	रजन कुमार मिश्रा पिता- रामनाथ मिश्रा ग्राम- मिश्रौली पो0- सडउर थाना- बिहिया जिला- भोजपुर सीआर न0- 2011 0274 6841	किडनी दवा Post Renal Transplant Medicine to Hospital	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
7	जुबेर आलम पिता- मो0 जहीरुद्दीन ग्राम+पो0- नीरपुर थाना- धमदाहा जिला- पूर्णिया सीआर नं0- 202403485223	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
8	मनोज कुमार सिंह पिता- स्व0 सच्चिदानन्द सिंह ग्राम- सच्चिदानन्द भवन आजाद पथ गली नं0- 2 चांदमारी रोड ककडबाग पो0- लोहियानगर थाना- ककडबाग जिला- पटना सीआर न0- 202305673211	किडनी दवा Post Renal Transplant Medicine to Hospital	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			10,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,10,000/- (दस लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196819 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं0 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
6. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 725(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.....196878 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
धर्मशीला नारायणा
सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
धर्मशीला मार्ग, वसुन्धरा इंकलेब
दिल्ली-110096

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर शिवम कुमार पिता- सजय कुमार साह ग्राम- पकडी डीह पो- पकडी महम्मद थाना- अमनौर जिला- सारण	कैंसर रोग	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,90,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,90,000 / - (एक लाख नब्बे हजार) का क्रास चेक सं०.../26875...
..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 10-03-2025

ज्ञापांक 711(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
कमला नेहरू,
मेमोरियल अस्पताल,
1, हासीमपुर रोड, प्रयाग राज
इलाहाबाद-211002

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथ अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजिया खातून पति- याकूब अली ग्राम - पिपराही पो0- बृदाबन थाना- उदकागांव जिला- गोपालगंज	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 80,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये का क्रास चेक सं0 196846
.....मूल रूप में सलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

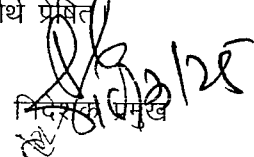
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 7/8(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित


निदेशक प्रमुख

सं0सं0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
The Gujarat Cancer & Research Institute,
Civil Hospital Asarwa,
Ahmedabad - 380016

पटना, दिनांक

विषय- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	स्वाति कुमारी पिता- कौशिक कुमार ग्राम- सुंदरपुर पो0- कोरी थाना- सन्देश जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपया का क्रास चेक सं0. 176847. मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 726(14)

पटना, दिनांक 10/3/2023

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

सं0स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Sadar Hospital Ranchi,
Sadar Hospital Campus Purulia Road,
Opposite Xaviers College
Ranchi 834001

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अतुल आनंद परासर पिता— श्रवण कुमार पाठक ग्राम— बनियाँ पो0— नगमतिया थाना— मदपुर जिला— औरंगाबाद	Immune disorder hypogamaglobulinemia	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 40,000 /—	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000 /— (चालीस हजार) रुपया का क्रास चेक सं0.../196818
..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 727(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख